23

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ.5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 14 अप्रैल, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मंडल,म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595–3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एव अन्य विरूद्ध उमादवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.04.2006 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार दैनिक वेतन भोगियों, अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरण में कार्यवाही बाबत् ।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 16.5.07 एवं ज्ञापन दिनांक 08.02.08

—0—

कृपया संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन करें, जिनके द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं । ज्ञापन दिनांक 16 मई, 2007 की कंडिका–12 निम्नानुसार है :–

"विभागों से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त होने पर समग्र स्थिति मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी । मंत्रि–परिषद निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यवाही हेतु पृथक से निर्देश जारी कियें जावेंगे । इसके पूर्व कोई भी विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी नियमितीकरण के आदेश जारी नहीं करेंगे । "

–2–

2- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में जारी उक्त निर्देश दिनांक 16 मई, 2007 एवं इसके पश्चात् जारी संशोधन दिनांक 8 फरवरी, 2008 की प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करते हुए विभागीय स्तर पर गठित छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए ।

3- विभागों द्वारा उपरोक्तानुसार किये गये नियमितीकरण की विस्तृत जानकारी जिसमें पात्र तथा अपात्र कर्मचारियों की नामजद सूचियां हो, की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को 30 अप्रैल, 2008 तक भेजी जाए ताकि विभागों द्वारा की गई कार्यवाही से मंत्रि-परिषद को अवगत कराया जा सके।

(आई.एम. चहल)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 कमांक एफ.5-3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 21 अप्रैल, 2008
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,म.प्र. जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल,
3. सचिव , लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव,म.प्र. राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव,म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय,म.प्र. भोपाल,
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक,म.प्र.भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,म.प्र. भोपाल,
10. सचिव,म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग,भोपाल,

3/...

11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,म.प्र. भोपाल,
12 महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर,
13. महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर / भोपाल,
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव,सा.प्र.वि.मंत्रालय,भोपाल,
15. उपसचिव / अवरसचिव,स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्यलेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय,भोपाल,
16. मुख्य सचिव के सचिव,मंत्रालय,भोपाल,
17. आयुक्त,जनसम्पर्क संचालनालय,म.प्र.भोपाल,
18. अध्यक्ष,म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति,भोपाल,
19. अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ,भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । °

(अकीला हशमत)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग